

डिकी मुकदमा इब्तादाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

1. जनमेद पुत्र बादाम
2. विरमा पुत्री बादाम
जाति गूर्जर निवासी कटारा अजीज तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. छोदू पुत्र चन्दन
2. सुमेर पुत्र भूरे
3. दर्शन पुत्र भूरे
4. कल्ला पुत्री भूरे
5. मैनेजर बैंक आफ इण्डिया शाखा हिण्डौन।
6. नायब तहसीलदार बालघाट।
7. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा बाबत इस्तकरारहक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88,188 आर0 टी0 एक्ट0

मु0न0 43/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री दिलावर सिंह एवं मदनमोहन शर्मा मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म (करौली) जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा डिकी किया जाकर ग्राम सालिमपुर की आराजी ख0न0 646/1/0.36, 646/855/0.01 है0 का वादी जनमेद पुत्र बादाम, बिरमा पुत्री बादाम जाति गूर्जर हि.ब. सा. कटाराअजीज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा आराजी ख0न0 646/0.74 है0 का छोदू पुत्र चन्दन हिस्सा 1/2, सुमेर, दर्शन पि0 भूरे, कल्ला पुत्री भूरे हि. ब. हिस्सा1/2 जाति गूर्जर सा. कटारा अजीज को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.02.2021 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

प्राथमिक डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

1. जनमेद पुत्र बादाम
2. विरमा पुत्री बादाम
जाति गूर्जर निवासी कटारा अजीज तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. छोटू पुत्र इन्दर
2. सुमेर पुत्र भूरे
3. दर्शन पुत्र भूरे
4. कल्ला पुत्री भूरे
5. मैनेजर बैंक आफ इण्डिया शाखा हिण्डौन।
6. नायब तहसीलदार बालघाट।
7. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा बाबत इस्तकरारहक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88,188आर0 टी0 एक्ट0

मु0न0 43/2019



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री दिलावर सिंह एडवोकेट, श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रुबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म करी जाता है व प्राथमिक डिकी दी जाती है। कि

अतः तहसीलदार टोडाभीम को 500रू पर बटवारा कमीशनर नियुक्त कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सालिमपुर की आराजी ख0न0 646/1.10, 646/855/0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 1.11 है0 मे वादीगण के हिस्से व कब्जे अनुसार बटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो मे प्रस्तुत करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.01.2021 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुयमनामा		
वावत इजराय हुयमनामा			गुतफरिक		
गुतफरिक					